रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16102020-222513
CG-DL-E-16102020-222513

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 524] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942
No. 524] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अक्तूबर, 2020

सं. 31/2020-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 646(अ).—जबकि मनोनीत प्राधिकारी ने प्रारंभिक अधिसूचना संख्या 7/26/2020-डीजीटीआर दिनांक 18 अगस्त 2020 जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–I, खंड-1, दिनांक 18 अगस्त 2020 में प्रकाशित किया गया, द्वारा सीमा प्रशुल्क अधिनियम 1975 (1975 की 51), (एतश्मिन पश्चात सीमा प्रशुल्क अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 9ए की उपधारा 5 की उप-धारा (1), और सीमा प्रशुल्क (क्षति निर्धारण के लिए डंप की गई मदों पर डंपिग रोधी शुल्क की पहचान, निर्धारण, संग्रहण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात उक्त नियमों के रूप में संदर्भित किया गया) की धारा 23 के अनुसरण में, मूल सीमा प्रशुल्क अधिनयम 1975 की पहली अनुसूची की प्रशुल्क मदों 7326 1910,7326 1990, 7326 9099, 8708 5000, 8708 9900 के भारी और मध्यम की श्रेणी के वाणिज्यिक वाहनों के लिए बने फ्रंट एक्सल और स्टीयरिंग नकल्स के आयातों पर या चीन गणराज्य (पिप्लस रिपब्लिक ऑफ चाइना) से निर्यातित- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड-3, उपखंड-(i) पत्रांक सा.का.नि. 802(अ) की अधिसूचना संख्या

49/2015- सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्तूबर 2015, और सीमा प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9ए की उपधारा 5 के संदर्भ में उक्त डंपिग रोधी शुल्क के विस्तार के लिए अनुरोध किया है।

अब, इसलिए उक्त नियमों के नियम 18 तथा 23 के साथ पठित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) तथा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार एतद्द्वारा वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना संख्या 49/2015- सीमाशुल्क (एडीडी) में, जिसे 21.10.2015 की सा.का.नि. 802(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड -3, उपखंड-(i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के बाद और स्पष्टीकरण के पहले निम्न पैरा को अंत:स्थापित किया जाएगा

"3. पैरा 2 में निहित किसी बातों के बावजूद भी इस अधिसूचना के तहत आरोपित डंपिग रोधी शुल्क 30 नवम्बर 2020 और तब तक जारी रहेगा जब तक कि इसे निरस्त न किया जाए इसका अतिक्रमण न किया जाए या संशोधित न किया जाए"।

[फा.सं. 354/118/2009-टीआरयू (पीटी.II)]

जैनेन्द्र सिंह कंधारी, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 49/2015 सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 अक्टूबर 2015 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग–II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ, सा.का.नि. 802(अ), दिनांक 21 अक्तूबर 2015 के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th October, 2020

No. 31/2020 -Customs (ADD)

G.S.R. 646(E).— Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/26/2020-DGTR, dated the 18th August, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th August, 2020 has initiated review, in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) and in pursuance of rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of Front Axle Beam and Steering Knuckles meant for heavy and medium commercial vehicles falling under tariff items 7326 1910, 7326 1990, 7326 9099, 8708 5000, 8708 9900 of the First Schedule to the Customs Tariff Act 1975, originating in, or exported from, the People's Republic of China, imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 49/2015-Customs (ADD), dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 802(E), dated the 21st October, 2015 and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following

amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 49/2015-Customs (ADD), dated the 21st October, 2015, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 802 (E), dated the 21st October, 2015, namely:-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely: -

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty imposed under this notification shall remain in force up to and inclusive of the 30th November, 2020, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. 354/118/2009-TRU (Pt. II)]

JAINENDRA SINGH KANDHARI, Dy. Secy.

Note : The principal notification No. 49/2015-Customs (ADD), dated the 21st October, 2015, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 802(E), dated the 21st October, 2015.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2020.10.16 20:21:03 +05'30'